

ग्रामीण सेवा रिवरि-2025

पत्र-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कारोपिया
व भूअ.नि. चौकरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मेठीया तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०१९ ई में खाता संख्या ३७१ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------|-------------|--|--|
| 1 | मेठीया | 371 | <u>ककमोदेवी/साधवलाल</u> <u>महीर</u> | <u>ककमो/बाई/साधवलाल</u> <u>महीर</u> |

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 192
प्रतिद्विधि :-

दिनांक: 4 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को गेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ककमोदेवी/साधवलाल महीर को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली ककमोदेवी/साधवलाल महीर

पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा